तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24/3/22	पत्रावली पेश हुई। अधि० अध्यक्ष उपनि तहसीलदार उच्चैन से कुर्रे रिपोर्ट बिना forwarding latter के प्राप्त हुई है। मूल कुर्रे रिपोर्ट त० उच्चैन को वापस भेजी जावे। एवं forwarding latter के साथ शीघ्र इस न्यायालय को फॉरवार्ड जावे। पत्रावली दिनांक 19/4/22 को पेश हो। सहायक कलक्टर उच्चैन (भरतपुर)	
19/4/22	पत्रावली पेश हुई। अधि० अध्यक्ष उपनि तहसीलदार उच्चैन से कुर्रे रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली वास्ते गौर कुर्रे रिपोर्ट दिनांक 26/4/22 को पेश हो। सहायक कलक्टर उच्चैन (भरतपुर)	
26/4/22	पत्रावली पेश हुई। अधि० अध्यक्ष उपनि कुर्रे रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिस पर दोनों अधि० ने अपनी सहमति जाहिर की। वादी का वाद मुताबिक कुर्रे रिपोर्ट अंतिम डिक्री किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली नियम अनुसार हेकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर उच्चैन (भरतपुर)	

न्यायालय सहायक कलक्टर उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— श्री राजीव शर्मा (आर.ए.एस)
वाद कमांकः— 99 / 2011

1. हेतराम पुत्र कन्हैया जाति जाटव निवासी भोंट
2. शेर सिंह | पुत्रान कन्हैया जातियान जाटव निवासी भोंट
3. नरेन्द्रपाल सिंह | तहसील उच्चैन जिला भरतपुर राज0

.....वादीगण

बनाम

1. सुमेरा पत्नी अमर सिंह | समस्त जातियान जाटव निवासी भोंट तहसील उच्चैन
2. सफेदी पत्नी अमर चन्द | जिला भरतपुर राज0
3. सोनो पत्नी सोरन
4. वृहमा पत्नी महाराज सिंह
5. रमेश पुत्र सूपरिया
6. सौमोती वेवा कन्हैया
7. शान्ति वेवा चरन
8. रामहंस पुत्र नानिगा
9. गिर्राज पुत्र चरन
10. तारा चन्द पुत्र चरन
11. रविकुमार पुत्र चरन
12. भगवान सिंह पुत्र चरन
13. राजवीर पुत्र चरन
14. हर पांचू
15. अनीता देवी पत्नी मंगतू जाति खटीक निवासी राजेन्द्र नगर भरतपुर
16. अशोक कुमार पुत्र अमर सिंह जाति खटीक निवासी गौरी शंकर कोलौनी सारस चौराहा भरतपुर

.....प्रतिवादीगण

दावा बाबत् विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितिः—
1. श्री धर्मेन्द्र चौधरी एड0 — अभिभाषक वादी
2. श्री नरेन्द्रपाल सिंह एड0 — अभिभाषक प्रतिवादी

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

Scanned with Oken Scanner

निर्णय

दिनांक 26.04.22

वादीगण के अभिभाषक ने यह वादपत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 व 188 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि हम वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सहखातेदारी की आराजी खसरा नं0 29/2.03, 34/2.11, 72/2.12 मिन0 1, 691/2.04 व 1012/1.11 कुल किता0 5 रकबा 11 बीघा 01 बिस्वा बाके ग्राम भौंट पटवार मण्डल भौंट में स्थित है। उक्त आराजी का अभितक विभाजन नहीं हुआ है तथा सभी काश्तकार खातेदार मनबट के आधार पर अपने-अपने हिस्से का काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। दिनांक 01.08.2011 को प्रतिवादीगण विवादित आराजी पर आ गये एवं एलानिया धमकी दी कि वे उक्त आराजी का हम काश्त नहीं करने देंगे।

उक्त धमकी से व्यथित होकर वादीगण ने यह वादपत्र इस न्यायालय में पेश कर निवेदन किया है कि दावा वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण निम्नानुसार डिक्री फरमाया जावे। यह घोषित फरमाया जावे कि वादपत्र की मद संख्या 1 में वर्णित आराजी का बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स विभाजन कर पृथक-पृथक कायम किया जावे एवं पृथक-पृथक राजस्व लगान का निर्धारण किया जावे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 05.10.2011 को प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 5 एवं 7 लगा0 13 की ओर से श्री नरेन्द्रपाल एड0 उपस्थित हुए एवं प्रतिवादी संख्या 6 स्वयं उपस्थित हुए। दिनांक 21.12.2011 को प्रतिवादी संख्या 15 व 16 की ओर से श्री जयप्रकाश शर्मा एड0 उपस्थित हुए। दिनांक 14.02.2012 को वादी संख्या 2 व 3 एवं प्रतिवादी संख्या 1,2,4,5 ने न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया, राजीनामा तस्तीक किया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 01.03.2012 को वादीगण एवं प्रतिवादीनि संख्या 3 ने न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया। राजीनामा तस्तीक किया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 29.03.2012 को प्रतिवादी संख्या 7,8,9,11 व 13 ने न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया, राजीनामा तस्तीक किया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 26.07.2012 को वादी हेतराम ने पी0डब्लू0 1 व प्रतिवादी रमेश के शपथ पत्र साक्ष्य हेतु पेश किए। दिनांक 12.04.2016 को उभयपक्ष की बहस सुनी गई। मुताबिक राजीनामा दावा स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की गई एवं नायब तहसीलदार उच्चैन से कुरे रिपोर्ट मंगवाई गई। दिनांक 19.04.2022 को तहसीलदार उच्चैन से कुरे रिपोर्ट प्राप्त, कुरे रिपोर्ट उभयपक्ष के अभिभाषक द्वारा सहमति प्रदान की गई।

अतः वादी का वाद मुताबिक कुरे रिपोर्ट अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है। कुरे रिपोर्ट डिक्री का जुज रहेगी। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजीव शर्मा(आर0ए0एस0)
सहायक कलक्टर
उच्चैन

Scanned with Oken Scanner